राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –2186/2013/भरतपुर.

सहायक आयुक्त, वृत–'बी', भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एस.एस.बिल्डिंग मैटीरियल स्टोर, भरतपुर. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,

राजकीय उप अभिभाषक ......अपीलार्थी (राजस्व) की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25.03.2015

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जावेगा) के द्वारा अपील संख्या 62/उपा/भरत/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.07.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जावेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों के अनुसार, आलौच्य अवधि में दर्शायी गयी खरीद पर आगत कर का मुजरा लिया गया है। प्रत्यर्थी को उनके विक्रेताओं ने विक्रय उपरान्त ट्रेड डिस्काउण्ट के क्रेडिट नोट जारी किये हैं, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी ने ट्रेडिंग खाते में क्रय कम किया है। ट्रेडिंग एकाउण्ट में दर्शायी गयी खरीद राशि बिक्री विवरण प्रपत्रों में दर्शायी गयी राशि से कम होने के आधार पर तथा व्यापार खाते में दर्शायी गयी राशि पर आगत कर का मुजरा देय होने से सहायक आयुक्त, वृत–'बी', भरतपुर (जिन्हें आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 व 24

के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों में उक्त अन्तर राशि को विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर आरोपित किया गया है। प्रत्यर्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर आरोपित कर को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2013 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

(राशि ₹ में)

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अपीलीय आदेश दि.	क.नि.आ. दिनांक	क्रेडिट नोट राशि	आरोपित कर
1	2	3	4	5	6
2186/13	762/उपा–भरत/2012–13	12.07.2013	31.01.2012	4,93,368/–	84,312/–

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट से प्रत्यर्थी की वास्तविक क्रय राशि से विक्रय राशि कम दर्शाई गई। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के विक्रय राशि पर करारोपण करने में कोई भूल नहीं की थी। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए कर आरोपण कर दिया। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी ने प्रपत्र वैट–07 में वर्णित सम्पूर्ण खरीद पर वेट कर चुकाया है एवं विक्रेता ने उस कर को राज्य सरकार को अदा कर दिया। क्रेडिट नोट में कर राशि को लौटाया नहीं गया है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थी को दिये गये मासिक/वार्षिक ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि वेट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य में से कम नहीं हो सकती। अतएव विक्रेता द्वारा वेट इन्वॉयस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर की गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को प्रत्यर्थी के खरीद मूल्य में से कम करते हुए प्रत्यर्थी

के विक्रय मूल्य में शामिल करतें हुए इस पर कर आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है।

विद्वान अभिभाषक का अग्रिम कथन है कि वेट अधिनियम की धारा 18(3ए) का संशोधन दिनांक 9.3.2011 भूतलक्षी न होकर दिनांक 9.3.2011 से प्रभावी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में क्रय किये गये किसी माल की पश्चातवर्ती आर्थिक रियायत (subsidy) या incentive के आधार पर कम कीमत पर बिक्री होने पर ऐसे माल पर अनुज्ञेय इन्पुट टैक्स विक्रय मूल्य पर देय आउटपुट टैक्स से अधिक नहीं होगा। प्रत्यर्थी के प्रकरण में ट्रेड डिस्काउण्ट प्राप्त माल का न तो विक्रय मूल्य कम हुआ है और न ही आउटपुट टैक्स इन्पुट टैक्स से कम है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18(3ए) के दिनांक 9.3.2011 से प्रभावी प्रावधानों के अनुसरण में व्यवहारी की खरीद मूल्य राशि में से ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि कम करते हुए इस राशि को विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए इस पर करारोपण का आदेश पारित किया है, जो अविधिक एवं अनुचित होने से इस आदेश को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्कों के समर्थन में **कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी' उदयपुर; माननीय केरला उच्च न्यायालय के प्रिया एजेन्सीज के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 14 वी.एस.टी. 293 एवं माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय के मद्रास सीमेंट लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 35 वी.एस.टी. 14 एवं कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2093/2013/भरतपुर सहायक आयुक्त,वृत–ए,भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, नीमदागेट,भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2014** का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में दर्शायी गयी खरीद, वैट–07 में दर्शायी गयी खरीद से विक्रेता द्वारा दिये गये डिस्काउण्ट के आधार पर कम दर्शायी गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य में जोड़ते हुए कर आरोपित किया गया है। ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में 'विक्रय मूल्य' को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :–

(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by

the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी की सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है तथा ट्रेड डिस्काउण्ट विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर आरोपित कर अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। कर बोर्ड की एकलपीठ के अपील संख्या 2093/2013/भरतपुर सहायक आयुक्त,वृत–ए,भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, नीमदागेट, भरतपुर निर्णय दिनांक 28.10.2014 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक क्रमशः 12.07.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य